बिहार विधान परिषद्, सचिवालय

अल्पकालीन निविदा

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के दोनों भवनों माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् कर्णांकित आवास संख्या – 03 देशरत्न मार्ग, पटना / माननीय उपसभापति महोदय के आवासीय कार्यालय आवास संख्या - 3/20 डुप्लेक्स बंगला, गर्दनीबाग, पटना / परिषद् सचिवालय के अतिथिशाला 19 एम० स्ट्रैण्ड रोड, पटना तथा अतिथिगृह न्यू पुनाईचक, पटना में स्थापित कुल -142 (एक सौ बयालीस विण्डो तथा स्पीलिट) अदद ए०सी० मशीन स्टेबलाईजर तथा उपकरणों (पार्ट्स) यथा कैपेसीटर, मोटर, बोर्ड, पंखा, ड्रेन-पाईप, मेन- कॉर्ड इत्यादि सहित एवं गैस रिफिलिंग के साथ वार्षिक रख- रखाव का अनुबंध कराने हेतु निविदा की तिथि से दिनांक – 22.02.2023 को 03:00 बजे अपराह्न तक प्राक्कलन निम्ननांकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं। निविदा से संबंधित आवश्यक शर्तें बिहार विधान परिषद् के बेबसाईट http://biharvidhanparishad.gov.in पर देखी जा सकती है।

1. निविदा द्वि- लिफाफीय पद्धति से की जाएगी।
2. संस्थान को दो अलग-अलग सील बंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा जमा करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
4. प्राक्कलन के कवर पर नाम, पता एवं दूरभाष संख्या अंकित रहना चाहिए।
5. निविदा के साथ संस्थान का निबंधन प्रमाण- पत्र, विगत तीन वर्षों का अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण – पत्र तथा वस्तु एवं सेवा कर निबंधन प्रमाण – पत्र लेबर लाईसेंस, EPF निबंधन प्रमाण – पत्र, ESIC निबंधन प्रमाण – पत्र, संस्थान का नाम काली सूची में दर्ज न हो, इस संबंध में प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी (1st Class Magistrate) के समक्ष स्व–घोषणा पत्र संलग्न रहना चाहिए।

6. संस्थान द्वारा अगर सरकारी विभाग में पूर्व में कम- से- कम चार वर्ष ए०सी० मशीन मरम्मति का कार्य किया गया है, तो कार्यानुभव प्रमाण-पत्र प्राक्कलन में संलग्न रहने पर प्राथमिकता दी जा सकती है।
7. विज्ञप्ति पश्चात् किसी भी कार्य दिवस पर ए०सी०(स्टेबलाईजर) एवं उससे संबंधित उपकरणों का अवलोकन कर सकते हैं।
8. निविदा में भाग लेने वाले संस्थान का विगत दो वर्षों का टर्न-ओवर न्यूनतम 15 (पंद्रह) लाख रूपये होना चाहिए।
9. प्राक्कलन के साथ 30,000/- (तीस हजार) रूपये मात्र का A/C Payee Demand Draft/ FDR/ Banker's cheque of any nationalized bank drawn in favour of D.D.O., Bihar Vidhan Parishad, Patna Payable at Patna.
10. निविदा के पश्चात् चयनित संस्थान द्वारा ए०सी० मरम्मति के दौरान संस्थान की गलती के कारण यदि कोई ए०सी० खराब होता है या कोई त्रुटि होती है, तो उस ए०सी० मशीन की मरम्मति से संबंधित खर्च का वहन संस्थान द्वारा स्वयं करना होगा।
11. प्राक्कलन स्वीकृति एवं कार्य करने का पत्र निर्गत होने के पश्चात् 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर स्वीकृत राशि का 15 प्रतिशत संचित राशि (सिक्योरिटी डिपोजिट) के रूप में Bank Draft / Bank Guarantee of a nationalised bank drawn in favour of D.D.O., Bihar Vidhan Parishad, Patna' Payable at Patna के माध्यम से जमा करना होगा एवं सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि पर कोई सूद देय नहीं होगा। यदि किसी ए०सी० मशीन को क्षतिग्रस्त कर संस्थान द्वारा उसकी मरम्मति अपने खर्च पर नहीं की जाती है तो संचित राशि से उसकी कटौती की जाएगी ।
12. कार्य असंतोषजनक रहने की स्थिति में संस्थान के विपत्र से आंशिक कटौती की जाएगी।
13. प्राक्कलन कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् के पदनाम से देय होगा एवं दिनांक- 22.02.2023 को 03:00 बजे अपराह्न में तकनीकी तथा दिनांक – 23.02.2023 को 03:00 बजे अपराह्न में वित्तीय निविदा उनके कार्यालय कक्ष में खोला जाएगा, जिसमें संस्थान/संवेदक के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
14. सभी अथवा किसी प्राक्कलन को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् को सुरक्षित रहेगा।
15. निविदा से संबंधित अधिक जानकारी हेतु बिहार विधान परिषद् के आधिकारिक वेबसाईट देखें।

10.2.2023

(विनोद कुमार)
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्